न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/64

1. मोहन लाल आत्मज स्वर्गीय श्री देवीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. भोला शंकर आत्मज श्री मन्ना लाल जाति धाकड निवासी ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्वर्गीय भोलाशंकर ।
   2/2. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री भोला शंकर निवासी अरल्या जागीर ।
   2/3. सरिता पुत्री स्व0 श्री भोलाशंकर पत्नी धनराज नागर जाति धाकड निवासी चारभुजा रावतभाटा जिला चितौडगढ ।
   2/4. गंगा पुत्री स्व0 श्री भोलाशंकर पत्नी महावीर जाति धाकड निवासी विश्वकर्मा मंदिर के पास शिवनद रोजडी नयागॉव कोटा ।
3. लालचन्द आत्मज स्वर्गीय श्री मन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. ओम प्रकाश आत्मज स्वर्गीय श्री मन्ना लाल जाति धाकड निवासी ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. कन्हैया लाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड निवासी अरलिया जागीर (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. श्रीमती संतोष पत्नी स्व0 श्री कन्हैयालाल जी जाति धाकड ।
   5/2. नरेन्द्र आत्मज स्व0 श्री कन्हैयालाल जाति धाकड ।
   5/3. सुरेश पुत्र स्व0 श्री कन्हैया लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   5/4. श्रीमती अनिता पुत्री स्व0 श्री कन्हैयालाल जी पत्नी बलराम जाति धाकड निवासी ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   5/5. श्रीमती मीना पुत्री स्व0 कन्हैयालाल जाति रामविलास जाति धाकड निवासी ग्राम अडूसा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
6. पूरणमल आत्मज स्व0 श्री मन्ना लाल जाति धाकड निवासी ग्राम अरलिा जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. शिवदत्त आत्मज देवकृष्ण जाति गुर्जर निवासी ग्राम कैथून बस स्टेण्ड के पास कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नवीन शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 17.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 273 की 0.11 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 274 की 0.09 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी क्रम 1 के पिता तथा वादीगण क्रम 2 से 5 के दादा श्री देवीलाल का कब्जा रहा तथा उसके बाद वादीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज हैं । वादीगण वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदारों द्वारा उक्त आराजी बन्नू पुत्र इस्हाक को विक्रय कर दी जिसका इंतकाल नम्बर 639 दिनांक 05.01.2011 को खोला गया । बन्नू द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 2 को दिनांक 08.04.2011 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर दी । उक्त बेचान की आड में प्रतिवादी क्रम 2 उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें अधिकार नहीं है ।

3. अतः दावा वादीगण डिक्री किया जावे कि अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 273 की 0.11 एवं 274 की 0.09 हैक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करे न ही किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत करे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में बिना तनकीयात कायम किये ही व साक्ष्य लिये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रकरण को अपनी स्वेच्छा से लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वादी क्रम 2 की मृत्यु हो जाने व उनके कायममुकमाान बनाने हेतु आवेदन पेश किया हुआ था तथा इसी प्रकार से वादी क्रम 5 का भी स्वर्गवास हो गया है तथा उसके भी कायममुकामान बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को उक्त वाद को लोक अदालत में रखने की कोई सूचना नहीं दी । प्रार्थी अपीलान्ट को उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.12.2017 को न्यायालय में उपस्थित होने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश किया गया था इसके उपरान्त तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत में वादीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है । वादीगण के द्वारा वादी क्रम 2 की मृत्यु हो जाने के कारण कायममुकामान बनाने का आवेदन पेश किया हुआ था । वादी क्रम 5 का भी स्वर्गवास हो गया था उनके कायममुकामान बनाने का भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जो अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्टगण को लोक अदालत की सूचना दी गई थी परन्तु वो लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते की है जिस पर कब्जे के आधार पर दावा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने एक दावा हक, घोषणा का पेश किया था जिसमें पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं सिर्फ प्रतिवादी उपस्थित हुए थे और इसी दिन दावा खारिज कर दिया । पत्रावली पर वादी क्रम 2 के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2016 लगा हुआ है । इसी प्रकार वादी क्रम 5 कन्हैयालाल के कायम मुकमान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु दिनांक 09.05.2016 को पेश किया हुआ है जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया है ।

12. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित नहीं किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष विधिवत रूप से राजीनामा पेश करे इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात पर प्रत्येक पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर पत्रावली प्राप्त होने से अन्दर 06 माह विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा